<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 02/2019 (बांसवाड़ा आर्डर)</u>

1. उदिया पिता स्वर्गीय जीवणा भील, निवासी कुण्डला, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. दूदा पिता स्वर्गीय जीवणा भील, निवासी कुण्डला, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. पूंजा पिता स्वर्गीय जीवणा भील, निवासी कुण्डला, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रूपा पिता स्वर्गीय जीवणा भील, निवासी कुण्डला, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. मनजी पिता वसीया भील, निवासी सामरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, एन.पी.सी.आई.एल., जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 04.11.2019 प्र.सं. 26/2016

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 27–06–2024</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता वसीया की बहन रंगली थी, जिसकी शादी जीवणा पुत्र बदिया से हुई, जिनके कोई संतान नहीं थी। जीवणा के दिनांक 15–11–1979 को सर्वे नंबर 462/1 रकबा 8 बीघा भूमि ग्राम [illegible] में आवंटित हुई, जो दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

22–12–1988 को नामान्तरकरण संख्या 120 से खातेदारी में दर्ज हुई। अप्रार्थीगण के पिता जीवणा का पिता दीपा था, जिसे दिनांक 15–11–1979 को ही सर्वे नंबर 459/1 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटित हुई, जो नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 22–12–1988 से खातेदारी में दर्ज हुई। जीवणा पिता दीपा की आवंटन पश्चात् मृत्यु हो गयी व खातेदारी मिलने से पूर्व उक्त भूमि जीवणा पिता दीपा के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गयी। जीवणा पिता बदिया के कोई संतान नहीं होने से उसके वारिसान का कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ। सर्वे नंबर 459/1 जीवणा पिता दीपा को तथा सर्वे नंबर 462/1 जीवणा पिता बदिया को आवंटित हुई एवं दोनों जीवणा पृथक–पृथक हैं तथा उनके पिता का नाम पृथक–पृथक है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने पिता जीवणा पिता दीपा के वारिसान के रूप में सर्वे नंबर 459/1 कर अवार्ड भी धारा 4, 6, 9 के जरिये परमाणु बिजली घर में उक्त भूमि अवाप्त होने से प्राप्त कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा परमाणु घर हेतु धारा 6 की उद्घोषणा दिनांक 27–08–2013 के द्वारा सर्वे नंबर 462/1 जीवणा पिता बदिया की भूमि बाबत् अवार्ड संख्या 1266 रूपया 61,90,621/– का बना है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 जो जीवणा पिता दीपा के पुत्र हैं, नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 21–01–2014 को विरासत में जीवणा पिता बदिया के वारिस बताकर सर्वे नंबर 462/1 की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम उक्त अवार्ड की राशि को प्राप्त करने हेतु दर्ज करवाया है, जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि सर्वे नंबर 462/1 रकबा 8 बीघा के प्रार्थी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, बेदखल करने का प्रयास नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 6 से उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 04–11–2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर् कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि लिपिकीय त्रुटि से राजस्व अभिलेखों में कहीं–कहीं जीवणा की वल्दियत दीपा के स्थान पर बदिया अंकित कर दी गयी है, किन्तु अपीलान्टगण अशिक्षित आदिवासी होने से अपने पिता के नाम का सुधार नहीं करवा पाये। ग्राम कुण्डला खुर्द और ग्राम खाण्डियादेव में जीवणा पिता बदिया भील नाम का कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं था और उससे नाता बताने वाला कोई व्यक्ति सामने ही नहीं आया, लेकिन हाल ही में जब अवार्ड की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जीवणा पिता बदिया भील (जिस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है) से अपने झूठी रिश्तेदारी जोड़कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एवं धारा 88, 188, 209 रा.का.अ. का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने समझे बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने विवेचन में यह माना कि ''अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने पिता जीवणा पिता दीपा जिसकी मृत्यु पर सर्वे नंबर 459/1 के वारिसान के रूप में नामान्तरकरण दर्ज करा लिया व उसका अवार्ड भी पृथक से धारा 4, 6, 9 के जरिये परमाणु बिजली घर में उक्त भूमि अवाप्त होने से प्राप्त कर रहे हैं तथा जीवणा पिता बदिया जो वास्तव में जीवणा पिता दीपा के [illegible] नामान्तरकरण संख्या 284

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 21–01–2014 को विरासत में जीवणा पिता बदिया के वारिसान बताकर सर्वे नंबर 462/1 की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम उक्त अवार्ड राशि में प्राप्त करने हेतु दर्ज करवाया है, जो अवैध होकर काबिल निरस्ती का होकर उक्त सर्वे नंबर 462/1 पर मिलने वाली अवाप्त भूमि की राशि नहीं उठाने हेतु प्रतिवादीगण 1 से 4 को पाबन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुकूल होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 04–11–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested